

2019-20
के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय
के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS for

EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

RELATING TO

2019-20

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है|

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

प्रस्तावना टिप्पणी

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2019-20 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

- 2019-2020 के दौरान 2 अनुदानों और 1 विनियोग में कुल
 ₹32637,78,26,653 का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारणों को इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में दिए गए हैं।
- 4. उपर्युक्त अधिक व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिन्होंने तिरपनवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 9 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2019-20 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

- 2. The excess expenditure during 2019-20 occurred in 2 Grants and 1 Appropriation amounting to a total of $\stackrel{?}{\sim}$ 32637,78,26,653.
- 3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/ Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.
- 4. The above excess expenditure have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 9 of Part–II of Fifty-Third Report (Seventeeth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.

वर्ष 2019-2020 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations made by Parliament during 2019-2020

						अंतिम अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त व्यय	पृष्ठों का संदर्भ
	मांग की संख्या		1	No. & Title		Final Grant/	Actual	Excess	Ref.
	और शीर्षक		of	Demand		Appropriation	Expenditure	Expenditure	to
						₹	₹	₹	pages
I.	राजस्व से पूरा किया गय	τ	I.	EXPENDITURE MET					
	व्यय			FROM REVENUE					
21	रक्षा पेंशन	भारित	21	Defence Pensions	Charged	5,80,00,000	7,79,73,484	1,99,73,	484 2
31	राजस्व विभाग	स्वीकृत	31	Department of Revenue	Voted	243488,75,00,000	275423,22,61,000	31934,47,61,6	000 3
	कुल राजस्व			TOTAL - Revenue		243494,55,00,000	275431,02,34,484	31936,47,34,	484
		भारित			Charged	5,80,00,000	7,79,73,484	1,99,73,	484
		स्वीकृत			Voted	243488,75,00,000	275423,22,61,000	31934,47,61,	000
	पूंजी से पूरा किया			EXPENDITURE MET					
	गया व्यय			FROM CAPITAL					
20	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत		20	Capital outlaty on Defence	ee				
	परिव्यय	स्वीकृत		Services	Voted	110299,42,00,000	111000,72,92,169	701,30,92,	169 1
	कुल पूंजी			TOTAL Capital		110299,42,00,000	111000,72,92,169	701,30,92,	169
		स्वीकृत			Voted	110299,42,00,000	111000,72,92,169	701,30,92,	169
	कुल जोड़			GRAND TOTAL		353793,97,00,000	386431,75,26,653	32637,78,26,0	653
		भारित			Charged	5,80,00,000	7,79,73,484	1,99,73,	484
		स्वीकृत			Voted	353788,17,00,000	386423,95,53,169	32635,78,53,	169
		-							

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अतिरिक्त राशि व्यय की गई ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2020, in respect of the **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

स्वीकृत (पूंजी): सात सौ एक करोड़ तीस लाख बानवे हजार एक सौ उनहत्तर रुपये। Voted (Capital): Seven hundred one crore thirty lakh ninety-two thousand one hundred sixty-nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital			
स्वीकृत Voted	110299,42,00,000	111000,72,92,169	701,30,92,169

मार्च, 2020 में प्राप्त ₹103310,96,00,000 के मूल विनियोग को ₹6988,46,00,000 के पूरक विनियोग द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹110299,42,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में वास्तविक ₹111000,72,92,169 था जिसके परिणामस्वरूप ₹701,30,92,169 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका विनियमन अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए किए गए भुगतानों के साथ-साथ संविदित नई योजना के लिए प्रारंभिक भुगतानों; सीमा शुल्क पर अतिरिक्त व्यय; वार्षिक रखरखाव कार्य योजना की प्रगति; नए पोत निर्माण संविदाओं के लिए अनिवार्य संविदात्मक भुगतान और चल रहे पोत/पनडुब्बी निर्माण परियोजनाओं और मरम्मत की उपलब्धि के भुगतानों की अपेक्षा से अधिक व्यय; रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक व्ययः, साख-पत्र (एलसी) के साथ-साथ विनिमय दर भिन्नताओं के माध्यम से अनिवार्य संविदात्मक विदेशी भूगतान; कार्यों की तीव्र प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का दायित्व; पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मेसर्स रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, रूस के संबंध में फिन स्टैबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सबोट (एफएसएपीडीएस) प्रोजेक्ट आदि के लिए मशीनरी की आपूर्ति के मुकाबले प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतानों के कारण हुआ था।

The Original Appropriation of ₹103310,96,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹6988,46,00,000 obtained in March, 2020. Against the Final Appropriation of ₹110299,42,00,000 the actual expenditure was ₹111000,72,92,169 resulting in an excess expenditure of ₹701,30,92,169 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to payments made for committed liabilities as well as initial payments for the New Scheme contracted; more expenditure on custom duty; progress of Annual Maintenance Work Plan; obligatory contractual payments towards new shipbuilding contracts and higher outgo than anticipated towards milestone payments of ongoing ship/ submarine construction projects and refits; more expenditure on strategic infrastructure projects than anticipated; obligatory contractual foreign payments through Letter of Credit (LC) as well as exchange rate variations; fast progress of works and liability of completion of critical projects on time; payment of committed liabilities during previous financial year in respect of M/s Rosoboron Export, Russia against the machineries supplies for the Fin Stabilized Armour Piercing Discarding Sabot (FSAPDS) Project etc.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक राशि व्यय की गई।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2020, in respect of the **DEFENCE PENSIONS** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

भारित (राजस्व) : एक करोड़ निन्यानबे लाख तिहत्तर हजार चार सौ चौरासी रुपये। Charged (Revenue): One crore ninety-nine lakh seventy-three thousand four hundred eighty-four Rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	अन्तिम अनुदान/ Final Grant वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	
	₹	₹	₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	5,80,00,000	7,79,73,484	1,99,73,484

मार्च, 2020 में प्राप्त ₹ 2,46,00,000 के मूल विनियोग को ₹3,34,00,000 के पूरक विनियोग द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹5,80,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय ₹7,79,73,484 था जिसके परिणामस्वरूप ₹1,99,73,484 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका विनियमन अपेक्षित है। अनुमानित से अधिक खर्च अदालती मामलों को अंतिम रूप देने के कारण अतिरिक्त व्यय किया गया था और प्रभारित हिस्से के तहत सटीक बजट प्रावधान का अग्रिम रूप से पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

The Original Appropriation of ₹2,46,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹3,34,00,000 obtained in March, 2020. Against the Final Appropriation of ₹5,80,00,000 the actual expenditure was ₹7,79,73,484 resulting in an excess expenditure of ₹1,99,73,484 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to finalization of more court cases than anticipated and it is difficult to forecast the exact budget provision under the Charged Portion in advance.

मांग संख्या DEMAND NO. 31 राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक राशि व्यय की गई।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2020, in respect of the **DEPARTMENT OF REVENUE** under **MINISTRY OF FINANCE**.

स्वीकृत (राजस्व)ः इकतीस हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ सैंतालीस लाख इकसट हजार रुपये ।

Voted (Revenue): Thirty-one Thousand nine hundred thirty four crore forty-seven lakh sixty-one thousand rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	243488,75,00,000	275423,22,61,000	31934,47,61,000

मार्च, 2020 में प्राप्त ₹203457,98,00,000 के मूल विनियोग को ₹40030,77,00,000 के पूरक विनियोग द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹243488,75,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय ₹275423,22,61,000 था जिसके परिणामस्वरूप ₹31934,47,61,000 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका विनियमन अपेक्षित है। अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2018 से संबंधित शेष आईजीएसटी को विभाजित करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अधिक धनराशि के अन्तरण के कारण हुआ था।

The Original Appropriation of ₹203457,98,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹40030,77,00,000 obtained in March, 2020. Against the Final Appropriation of ₹243488,75,00,000 the actual expenditure was ₹275423,22,61,000 resulting in an excess expenditure of ₹31934,47,61,000 which requires regularisation. The excess was incurred due to transfer of more funds to GST compensation Funds in order to apportion the balance IGST pertaining to Financial Year 2018.